सहायतायें

चिकित्सा वित्तीय सहायता
घातक रोगों की चिकित्सा के लिए एक साल रु.25,000/- तक।
सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए रु.50/- दैनिक दर में रु.2,000/-तक

विशेष आश्वासन सहायता
दुर्घटना या प्राणहर बीमारी के कारण छः महीने तक काम नहीं कर सकने के कारण स्थायी अशक्तिग्रस्त सदस्यों को रु.10,000/- तक आर्थिक सहायता।

संतानों को शैक्षिक अनुदान
उच्च-शिक्षा के लिए सदस्यों की संतानों को शैक्षिक अनुदान। (रु.1,000/- से लेकर रु.3,000/- तक)

आवधिक हितलाभ (टर्मिनल बेनिफिट)
कम से कम 3 साल की सदस्यता पूरा करनेवाले श्रमिकों को हर साल रु.10,000/- और अधिकाधिक रु.25,000/- आवधिक हितलाभ दिया जाता है।

मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता
जो श्रमिक केरल में मर जाते हैं उनकी नारियों को रु.50,000/- मरणानन्तर सहायधन प्रदान किया जाता है।

शवशरीर जन्मस्थल में पहुँचाने को सहायता
मर जानेवाले सदस्यों के शवशरीर को जन्म-स्थल पर पहुँचाने को रु.5,000/- से लेकर रु.15,000/-तक उनके आश्रितों को प्रदान किये जाते हैं।

हेल्प लाइन नंबर

निकटस्थ थाना (Nearest Police Station) - 100
पुलिस हेल्प लाईन (Police Helpline) - 0471 - 3243000/4000/5000
पुलिस संदेश केंद्र (Police Message Centre) - 9497900000
पुलिस हाई वे हेल्प लाइन (Police High Way Help Line) - 9846100100
फायर स्टेशन (Fire Station) - 101
ऐंब्युलन्स (Ambulance) - 108
क्राइम स्टॉपर (Crime Stopper) - 1090
विमेन हेल्प लाइन (Women Helpline) - 1091
सिटिसन्स कॉल सेंटर (Citizens Call Centre) - 155300
केरल भवन-निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण परिषद् (Kerala Building and other Construction Workers Welfare Board)

कल्याण निधि में पंजीकरण केलिए संपर्क करें :
श्रमिक कल्याण परिषद्, फोन नं. 0471-2337941

जिला श्रम दफ्तर - दूरभाष नंबर

तिरुवनन्तपुरम	-	0471 2783944
कोल्लम	-	0474 2794820
पत्तनमतिट्टा	-	0468 2222234
आलप्पुषा	-	0477 2253515
इटुक्कि (तोटुपुषा)	-	0486 2222363
कोट्टयम	-	0481 2564365
एरणाकुळम	-	0484 2423110
त्रिश्शूर	-	0487 2360469
पालक्काट	-	0491 2505584
मलप्पुरम	-	0483 2734814
कोषिक्कोट	-	0495 2370538
वयनाट	-	04936 203905
कण्णूर	-	0497 2700353
कासरगोड	-	04994 256950

KERALA INSTITUTE OF LABOUR & EMPLOYMENT (KILE)
(An Autonomous Body Constituted by the Government of Kerala)
GROUND FLOOR, THOZHIL BHAVAN, VIKAS BHAVAN.P.O,
THIRUVANANTHAPURAM- 695 033.
Ph: 0471- 2309012, 2307742 Fax: 0471-2308947
www. kile.kerala.gov.in

Printed at C-apt, Tvpm

केरला लेबर् डिपार्ट्मेन्ट

केरला इंस्टिट्यूट ओफ लेबर & एंप्लोयमेंट (किलो)

तोऴिल् भवन्, विकास भवन्.पि.ओ, तिरुवनन्तपुरम - ६९५०३३

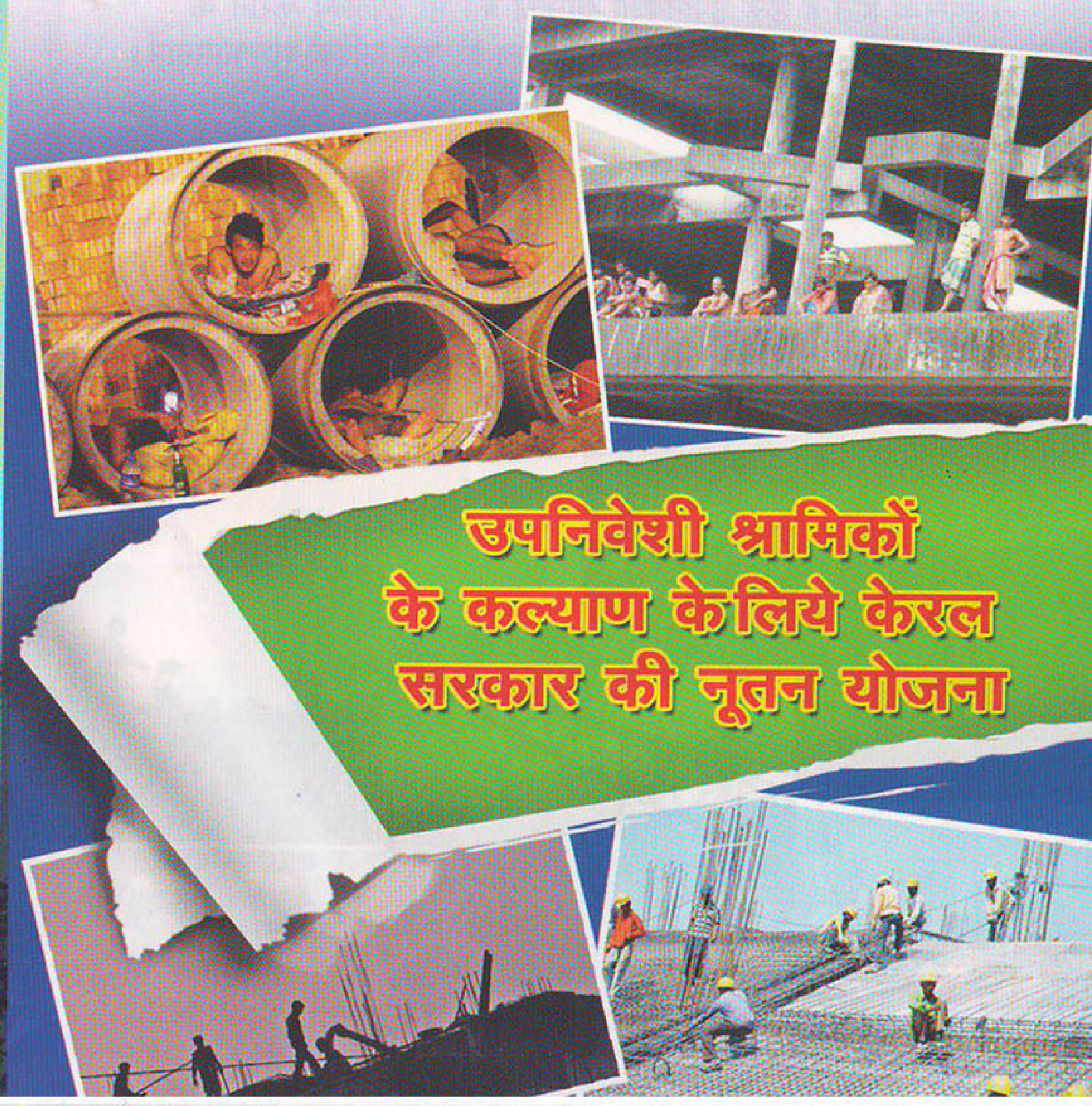

उपनिवेशी श्रामिकों के कल्याण केलिये केरल सरकार की नूतन योजना

षिबु बेबिजॉण
मंत्री
श्रम & पुनर्वास मंत्रालय
केरल सरकार।

संदेश

केरल सरकार के श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों के भाग स्वरूप, श्रम विभाग और किले (केरला इंस्टिट्यूट ऑफ लेबर & एंप्लॉयमेंट) के संयुक्त तत्वावधान में, केरल में काम करनेवाले उपनिवेशी श्रमिकों को बोध दिलाने के कार्यक्रम तथा उन केलिए स्वास्थ्य शिविर का संगठन करना प्रासंगिक है। हमारे प्रांत के श्रमिकों को जो अधिकार व अनुदान उपलब्ध होते हैं उन्हें उपनिवेशी श्रमिकों को भी उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में जो उपक्रम लागू किया जाता है, उसे हार्दिक शुभकामनायें।

26.2.2014 Sd/

उपनिवेशी श्रमिकों के कल्याण के लिए केरल सरकार की नूतन योजना

भारत भर में ही सही सर्वप्रथम लागू करनेवाली आदर्श योजना। 18 से 60 सालों तक के उपनिवेशी श्रमिक 30 रु. सालाना तदस्यशुल्क अदा कर योजना में प्रवेश कर सकते हैं।

मालिक की जिम्मेदारी :-

अन्य राज्य उपनिवेशी श्रमिक की सेवा का उपयोग करनेवाला हर मालिक और ठेकेदार कल्याण निधि में अपने श्रमिकों की सदस्यता निश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

योजना एक दृष्टि में:-

* दुर्घटनाग्रस्तों और स्थायी अशक्तता पीडितों को आर्थिक आश्वासन
* घातक बीमारी चिकित्सा सहायधन
* संतानों को शैक्षिक अनुदान।
* काम से मुक्ति लेनेवालों को विशेष आर्थिक सहायता
* लाश को जन्म-स्थान में पहुँचाने के लिए सहायधन

केरल उपनिवेशी श्रमिक कल्याण निधि

अन्य राज्यों से केरल में पहुँच कर विभिन्न नौकरियों में लगे हुए उपनिवेशी श्रमिकों के कल्याणार्थ केरल सरकार द्वारा रूपायित योजना है, यह। वे श्रमिक जो केरल के बाहर भारत में जन्मे-पले, काम-धन्धे के सिलसिले में केरल में बस कर किसी नियोजक/ठेकेदार के अधीन या निजी तौर पर काम करनेवाले तथा 18 और 60 साल की आयु के बीचवाले श्रमिक इस योजना के सदस्य बन सकते हैं। योजना का उद्देश्य यह है कि बिलकुल उदार और ललित कार्यक्रमों के द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों को कल्याण-सहायतायें उपलब्ध करके, इस श्रेणी के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को स्थिर किया जाये। सदस्य श्रमिकों के सुविधार्थ केरल के सभी जिला केंद्रों में सदस्यता का नवीकरण करने और सहायताओं केलिए निवेदन करने की सुविधा होती है।

हमारे समूचे राष्ट्र के लिए आदर्शात्मक इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व केरल भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण परिषद् पर निर्भर है। राज्य श्रमिक विभाग की सहकारिता से, इस कल्याण परिषद् के चौदहों जिला दफ्तरों के द्वारा केरल उपनिवेशी श्रमिक कल्याण योजना, मई 2010 से लागू की गयी। यह योजना जो 2010 में तिरुवनन्तपुरम जिले से शुरू हुई है, लगातार राज्य के दूसरे सभी जिलाओं में अब उपलब्ध है।

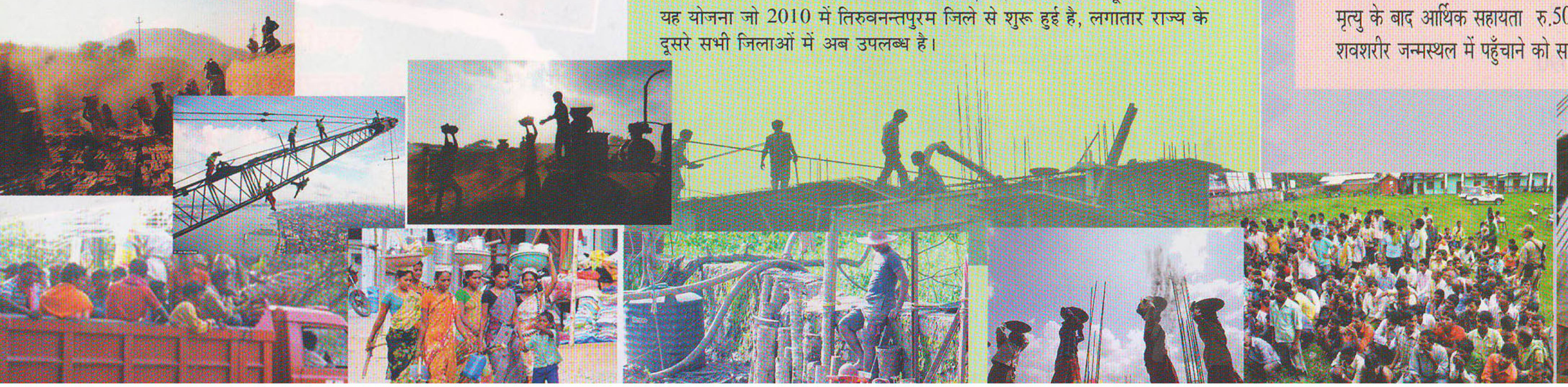

सदस्यता पंजीकरण

वे उपनिवेशी श्रमिक इस योजना में अवश्य पंजीकरण करें जो कम से कम महीना भर से केरल राज्य में काम कर रहे हैं और जिन्होंने 18 साल की आयु की पूर्ति की हो एवं 60 साल की पूर्ति न की हो। जो मालिक या ठेकेदार इन श्रमिकों से काम करवाना चाहते हैं उनको इन श्रमिकों का पंजीकरण कराना ज़रूरी है।

सदस्यता शर्तें
1. कम से कम एक महीना ही सही उपनिवेशी श्रमिक के तौर पर केरल राज्य में काम करना अनिवार्य है। पेशा सिद्ध करने का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
2. 18 सालों और 60 सालों के बीच के श्रमिक सदस्य बन सकते हैं। आयु प्रमाणित करने का प्रलेख हाज़िर करना चाहिए।
3. आवेदक का माहवार वेतन रु.10,000/- से अधिक न हो।
4. सालाना सदस्य शुल्क रु.30/- बैंक ट्राफ्ट द्वारा/नकद अदा करना चाहिए।
5. आवेदन-प्रपत्र, शपथ-पत्र सहित हस्ताक्षर करके, दो पारपत्र आकार के चित्रों सहित समर्पित करना चाहिए।
6. प्रति साल अप्रैल महीने में वार्षिक शुल्क रु.30/-, अदा करके, पेशे में लागू होने को प्रमाणित करने का प्रमाण-पत्र समर्पित करके सदस्यता का नवीयन करना चाहिए।
7. सदस्यता के लिए केरल निर्माण श्रमिक कल्याण परिषद् के संबंधित जिला कार्यकारी अफ़सर से संपर्क करना चाहिए।

सहायतायें

चिकित्सा वित्तीय सहायता रु.25,000/-
विशेष आश्वासन आर्थिक सहायता रु.25,000/-
संतानों को शैक्षिक अनुदान रु.1,000/- से रु.3,000/- तक
आवधिक हितलाभ (टर्मिनल बेनिफिट) रु.10,000/- से रु.25,000/- तक
मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता रु.50,000/-
शवशरीर जन्मस्थल में पहुँचाने को सहायता रु.5,000/- से 15,000/- तक